

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

74

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ,
सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चंपारण, बेतिया/नवादा/समस्तीपुर ।

पटना, दिनांक :-

14.12.15

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2692 दिनांक-27.8.15 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	पश्चिम चंपारण (बेतिया)	06	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	600000/-	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक-85/सा०सु० दिनांक 21.11.15 के आलोक में (1) फरमान साह, आश्रित रहमतुल्लाह साह (पिता) ग्राम-बहुअरी, प्रखण्ड- रामनगर, जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया (2) इमामुद्दीन अंसारी, आश्रित अलिफतारा खातुन (पत्नी) ग्राम-बहुअरी, प्रखण्ड- रामनगर, जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया (3) मो० मिस्टर, आश्रित सलमा खातुन (पत्नी) ग्राम-बहुअरी, प्रखण्ड-रामनगर, जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया (4) हसन ईमाम साह, आश्रित जरीना खातुन (पत्नी) ग्राम-बहुअरी, प्रखण्ड-रामनगर, जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया (5) हारून साह, आश्रित अखतरी बेगम (पत्नी) ग्राम-बहुअरी, प्रखण्ड-रामनगर, जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया (6) रैसूल अंसारी आश्रित जरीना खातुन (पत्नी) ग्राम-बहुअरी, प्रखण्ड- रामनगर, जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया के भुगतान हेतु।
2	नवादा	01	तदैव	100000/-	जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-608 दिनांक-1.12.15 के आलोक में स्व० शिवनन्दन प्रसाद यादव, आश्रित रीता देवी (पत्नी) ग्राम-कासीखाती, पो०-सुधड़ी, थाना+ प्रखंड- गोविन्दपुर, जिला-नवादा के भुगतान हेतु।
3	समस्तीपुर	01	तदैव	100000/-	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-1226(श्र०सं०) दिनांक-24.11.15 के आलोक में मो० सुल्तान, आश्रित कुरैशा खातुन (माता) ग्राम- हरपुर रेवाड़ी, प्रखंड- उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर के भुगतान हेतु।
	कुल	08		800000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 8,00,000/- (रूपये आठ लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फ़ैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
4. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

74

पटना, दिनांक

14.12.15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/20145 श्र0सं0-

74

पटना, दिनांक-

14.12.15

- प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी /संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त, शोध एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-224 एवं 229 (श्रमपक्ष) क्रमशः दिनांक-30.11.15 एवं 7.12.15 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव।